

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- महमुदको के अन्तर्गत सिमिलरनेम - आरुस्थारी
विस्ते 21 मीटरीला होते हुए लघाई एक कोरर भाग

वन अधिकार अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम महमुदारी
तहसील रामपुर, जिला अमरकोट

अनापत्ति प्रमाण पत्र उपरोक्त
उत्तराखण्ड में जनपद अमरकोट के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु (4 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.8135 हे० सिविल सोयम भूमि 0.81 हे०, वन पंचायत भूमि हे०) अर्थात् कुल 0.945 हे० वन भूमि का समस्त वन विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत महमुदारी द्वारा दिनांक 20-10-2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2008 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम महमुदारी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/- गुडगु
ग्राम सचिव
वि० उ० पंचादे (अमरकोट)

प्रधान
ह०/-
ग्राम पंचायत महमुदारी
वि० उ० ग्राम प्रधान

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक 20-10-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत महयारी, निम्निलेखी, पिरोट, तलाइ

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सुरभी चन्द/मन्वर्ष जोशी	MS
2	कमलेश जोशी	Manish
3	प्रकाश चन्द जोशी	Prakash
4	वसुधेश जोशी	वसुधेश
5	प्रकाश काण्डपाल	प्रकाश
6	तारुण काण्डपाल	Tarun
7	दिनेश चन्द जोशी	दिनेश
8	अश्वनी जोशी	अश्वनी
9	जानकी जोशी	जानकी
10	सुरेश चन्द जोशी	Suresh
11	च-लोगी	च-लोगी
12	सीता देवी	सीता
13	विमान सिंह	विमान
14	वेप-चन्द जोशी	वेप-चन्द
15	गणेश चन्द जोशी	गणेश
16	प्रमोद चन्द जोशी	प्रमोद
17	पार्वती देवी	पार्वती
18	मोहन देवी	मोहन
19	लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी
20	कमल देवी	कमल

प्रधान
ग्राम पंचायत महयारी
पि० तलाइ (अल्मोड़ा)
ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम

प्रपत्र-23.2

कार्यालय उप जिलाधिकारी, भिकियासैन/स्थाले
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, स्थाले

भीमरीला उपखण्ड स्थाले परिक्षेत्र के अन्तर्गत तिमिलटनौला - आकस्थारी-विरोट
(— हे० आरक्षित वन भूमि ०.१३५ हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि ०.८१ हे०
वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल ०.९५५ हे० वन भूमि) का
प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील स्थाले) की दिनांक २०-१०-२०१५ को
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
श्री एच.के.वर्मा, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नाज्जर है।

- 1- श्री एच.के.वर्मा उपजिलाधिकारी स्थाले अध्यक्ष
- 2- श्री वि.के.सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत अध्यक्ष (अध्यक्ष)
- 3- श्री सुनील कुमार सहायक समाज कल्याण अधिकारी पगारी सदस्य
- 4- श्री बालकृष्ण बी०डी०सी० क्षेत्र कैदगाव सदस्य/सचिव

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी
की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया

कि तिमिलटनौला - आकस्थारी-विरोट - भीमरीला हेतु हुए तलाई
वर्क और मजदूरी का विवरण

भूमि पान्नी - खण्ड क्षेत्र नि ० विभाग परियोजना हेतु ०.९५५ हे० वन

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों
के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त
भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग
हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008
के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन
अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

विश्लेषण बैठक में सर्वसाधारण उपखण्ड परियोजना के अन्तर्गत
80 वन भूमि प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर
प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी। 0-9-85

उप जिलाधिकारी/अवकाश
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- 24106
जनपद- 310151

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, 310151 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अवकाश
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- 24106
जनपद- 310151

प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत प्रस्तावित विप्रितगैला-आल्मोड़ी विद्युत
होत हुए लोडिंग वक मोरु भाग

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत प्रस्तावित विप्रितगैला-आल्मोड़ी विद्युत
मोय भाग परियोजना के निर्माण हेतु 6.945 हे० वन भूमि लोडिंग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को
प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन
मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी० दिनांक 06-02-2013 के द्वारा
रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा-सड़क, नहर, पारिषण लाईन, ओ०ए० लाईन, बिजली व
पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों से
मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर
आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय
(Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।


जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा


जिलाधिकारी

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector : Almora

No :

Dated:

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that...0.945.....hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction...of Motor Road from Timiltanola - Farusthara - Virof Bheemateela.....


(Purpose for diversion of forest land) in...Almora.....district falls within jurisdiction of Mahar.....village(s) in Syalde.....Tehsils.
gyani

It is further Certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire.....Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent to it.
- (c) The proposal dose not involve recognized of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above

D.M. 

Signature
(Full name of the official seal of the District Collector)


It is certified that - minutes of meeting for **Construction of Timitona Aaru Sani Motor Road** under Provincial Division, PWD, Ranikhet in the state of Uttarakhand regarding FRA is as Following :-

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 0.945..... hec. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Yes copy of record attached as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.


 जिला प्रमाण कल्याण आयुक्त
 पल्लोड़ा


 जिला आयुक्त
 पल्लोड़ा

(Full name of the official seal of the District Collector)

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Savin Bansal I.A.S. Deputy Commissioner. Almora on date.....15-01-2016.....at time.....3.15 PM.....at Almora. in which application claiming rights of area measuring 0.945 hect. for the Construction of Motor Road from Tinitanola - Aarusari - Vikat of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions. no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

विश्व बधिकारी
अल्मोड़ा